



कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-24.10.2024

विषय:- थाना लालपुर पाण्डेयपुर पुलिस टीम द्वारा चोरी के मुकदमें में वांछित शातिर अभियुक्त राजेश कुमार गुप्ता गिरफ्तार, कब्जे से ए0टी0एम0 चोरी कर निकाले गये 10,000/- रू0 नगद बरामद ।

श्रीमान पुलिस आयुक्त वाराणसी द्वारा अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम तथा चोरी/लूट/नकबजनी की घटनाओं के अनावरण एवं वांछित/फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, श्रीमान पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन के निर्देशन में, श्रीमान् अपर पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन के पर्यवेक्षण में एवं श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त कैन्ट के नेतृत्व में, मुखबिर की सूचना पर थाना लालपुर पाण्डेयपुर पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0-0376/24 धारा 305(ए), 317(2) बी0एन0एस0 थाना लालपुर पाण्डेयपुर कमिश्नरेट वाराणसी से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त राजेश कुमार गुप्ता पुत्र सुरेश कुमार गुप्ता निवासी डुड्डुपुर थाना लाइन बाजार जनपद जौनपुर हाल पता प्रेमचन्द्र नगर कालोनी थाना लालपुर पाण्डेयपुर वाराणसी को आज दिनांक-24.10.2024 को समय करीब 12.45 बजे आजमगढ़ रोड राय साहब के बगीचा के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से ए0टी0एम0 चोरी कर निकाले गये 10,000/- रू0 नगद बरामद हुए। उक्त गिरफ्तारी/बरामदगी के आधार पर थाना लालपुर पाण्डेयपुर पुलिस द्वारा अग्रेतर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का विवरण- दिनांक-21.10.2024 को वादिनी मुकदमा ने अज्ञात अभियुक्त द्वारा वादिनी के केनरा बैंक खाता नं0 6397***** के ए0टी0एम0 द्वारा 5 बार में कुल 50 हजार रुपये निकाल लेने के सम्बन्ध में लिखित प्रार्थना पत्र दिया, जिसके आधार पर थाना लालपुर पाण्डेयपुर में मु0अ0सं0-0376/2024 धारा 66 D I.T. Act पंजीकृत किया गया। मुकदमा उपरोक्त में विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान धारा 66-D IT ACT की घटोत्तरी कर धारा 305(a), 317(2) बी0एन0एस0 की बढोतरी की गयी, जिसकी विवेचना उ0नि0 विद्यासागर द्वारा सम्पादित की जा रही है।

पूछताछ का विवरण- अभियुक्त राजेश कुमार गुप्ता ने पूछताछ करने पर बताया कि मैं प्रेम चन्द नगर कालोनी में एक किराये के मकान में रहता हूँ। मेरा वादिनी/पीड़िता के यहां लगभग 04 वर्षों से आना-जाना था। जब कभी वादिनी/पीड़िता को रुपये-पैसे की आवश्यकता पड़ती थी तो अपने ए0टी0एम0 का कोड बताकर मुझसे पैसा मंगवाती थी जिसका पिन नं0 मुझे याद है। मैंने कुछ रुपये किसी अन्य व्यक्ति से उधार लिया था जो मुझसे बार-बार तगादा करता था और पैसे की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी तो मैं वादिनी/पीड़िता के कमरे में गया जहां बेड के पास वादिनी/पीड़िता का ए0टी0एम0 रखा हुआ था जिसका पिन नं0 मुझे पहले से ही मालूम था और उनका ए0टी0एम0 कार्ड चुपके से मैंने जेब में रख लिया और उसके बाद मैंने ए0टी0एम0 लेकर लहरतारा HDFC बैंक के ए0टी0एम0 पर पहुंचकर 05 बार में 10000-10000/- रुपये करके कुल 50000/- रुपया निकाल लिया और पकड़े जाने के डर से मैं रास्ते में ही वादिनी/पीड़िता का ए0टी0एम0 कार्ड फेंककर वापस अपने घर आ गया, जिसमें से 35000/- रू0 जो उधार लिया था उसको दे दिया तथा 5000/- रू0 शान-

शौकत में खर्च कर दिया, जो 10000/- रुपया मेरे पास से बरामद हुआ है यह वादिनी/पीड़िता के ए0टी0एम0 कार्ड से निकाला गया पैसा है। आज मैं कुछ घरेलू सामान खरीदने के लिए जा रहा था कि आप लोगों ने मुझे पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

राजेश कुमार गुप्ता पुत्र सुरेश कुमार गुप्ता निवासी डुड्डुपुर थाना लाइन बाजार जनपद जौनपुर हाल पता प्रेमचन्द्र नगर कालोनी थाना लालपुर पाण्डेयपुर वाराणसी, उम्र 29 वर्ष।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय- आजमगढ़ रोड राय साहब के बगीचा के पास से, दिनांक-24.10.2024 को समय करीब 12.45 बजे।

बरामदगी का विवरण- ए0टी0एम0 चोरी कर निकाले गये पैसे 10,000/- रू0 नगद बरामद।

आपराधिक इतिहास-

1- मु0अ0सं0-0376/24 धारा 305(a),317(2) बी0एन0एस0 थाना लालपुर पाण्डेयपुर कमिश्नेट वाराणसी।

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. उ0नि0 विद्यासागर थाना लालपुर पाण्डेयपुर कमिश्नेट वाराणसी।
2. हे0का0 सुरेन्द्र मौर्य थाना लालपुर पाण्डेयपुर कमिश्नेट वाराणसी।
3. का0 मनीष तिवारी थाना लालपुर पाण्डेयपुर कमिश्नेट वाराणसी।
4. का0 सूरज कुमार तिवारी थाना लालपुर पाण्डेयपुर कमिश्नेट वाराणसी।



सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
वरुणा जोन, कमिश्नेट वाराणसी